

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोपालगढ़

बनाम

रामेश्वरलाल

ही अन्तर्गत

128 CR Act

मुकदमा

पार्श्वना पत्र

नं.

173 सन् 2020

(2020/00306)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
16/11/22	<p>पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अभियान 2021 के तहत गा.प. अरनियापंच पर आयोजित शिविर में निष्पत्ति हेतु लगी गयी हमले पत्रावली का अवलोकन किया। प्रयोगिक ग्राम अरनियापंच स्थित आरजी सरख्या 652 रकब 1.3200 हे. एवं आरजी सरख्या 1156 रकब 0.3300 हे. की 2 कुल रकब 1.6500 हे. भूमि की पत्थरगढी धारणा चाहते हैं। पत्रावली में लक्षण भ्रम जमावारी सम्बर 2068-2011 अनुशा. अंत आरजीघात प्रयोगिक के लघु स्त स्थापना की है। अंत: पार्श्वना पत्र अन्तर्गत धारा 128 CR Act लीका किया जाकर ग्राम अरनियापंच आरजी सरख्या 652 रकब 1.3200 हे., 1156 रकब 0.3300 हे. की 2 रकब 1.6500 हे. भूमि की बिना किली के कब्जे में दखलान्दाजी किए सेटलमेंट नम्बरो अनुशा. पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1200.00 रुपए इसके एक हजार दो सौ रुपए प्रयोगिक वहन करेंगे। पालनाथ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पश्कारात को निरवित लुचन देकर निपमानुशा. पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली केदल भूमि हीकर नम्बर से कम है।</p>	

(श्याम सुन्दर विनोद)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)